

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अप्रैल 2010—चैत्र 30, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए-3-8-2010-1 पांच (53).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट उस माल को, जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिए भेजा जा रहा है, और माल का परेषिती भारत/मध्यप्रदेश सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से भिन्न कोई व्यापारी है, उक्त उपधारा के खण्ड (क) द्वारा यथा अपेक्षित विहित घोषणा-पत्र साथ में रखने के लिए तथा उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए, अधिसूचित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	माल का विवरण (2)
1	समस्त प्रकार के तेल बीज
2	वनस्पति एवं खाद्य तेल (जिसमें हाईड्रोजिनेटेड वनस्पति तेल सम्मिलित है)
3	कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई)

2. यह अधिसूचना 1 मई 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-8-2010-1-पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-8-2010-1-पांच (53), दिनांक 20 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th April 2010

F- No. A 3-8-2010-1-V-(53).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the following goods specified in the table given below, which are being sent from a place inside the State of Madhya Pradesh to a place outside the State and consignee of the goods is a dealer other than a department or a public sector undertaking of Government of India/Madhya Pradesh, for carrying prescribed declaration form as required by clause (a) of the said sub-section and for the purpose of clause (c) of the said sub-section :—

TABLE

S. No. (1)	Description of Goods (2)
1	All kinds of oilseeds
2	Vegetable and edible oil (including hydrogenated vegetable oil)
3	Cotton (ginned or unginned)

2. This notification shall come into force with effect from 1st May 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.